

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

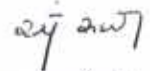
क्रमांक: एफ.2(1454)/सूप्रौ/संस्था/13/ I/5289/ 2013 जयपुर, दिनांक: 28/03/2013

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 में प्रदत्त की गई शक्ति का प्रयोग करते हुये एवं वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3/2013 दिनांक 04.02.2013 के अनुसरण में अधिनियम की धारा 38(1) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग उपापन संस्था हेतु अपील सुनने के लिये प्रथम अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव को पदाभिहित किया जाता है।

उपरोक्त परिपत्र द्वारा वित्त विभाग के अधिनियम की धारा 38(4) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग उपापन संस्था हेतु द्वितीय अपील सुनने हेतु द्वितीय अपील अधिकारी वित्त विभाग को पदाभिहित किया गया है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



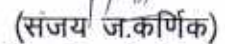
(संजय मल्होत्रा)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 2 वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4 अतिरिक्त निदेशक प्रथम/द्वितीय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 5 निजी / रक्षित पत्रावली।

✓ otc (website), Domes Jaipur



(संजय ज.कर्णिक)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
एवं कार्यालयाध्यक्ष